सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 122/2016

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. अब्दुल सत्तार पुत्र श्री फेज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव हाल केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. अब्दुल गफ्फार पुत्र श्री फेज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव हाल केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. इकबाल पुत्र श्री फेज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव हाल केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. मांगी पत्नि श्री फेज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव हाल केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. जमीला पुत्री श्री फेज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव हाल केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
6. मैना पत्नि श्री जब्बार जाति मुसलमान निवासी देवगांव हाल केकड़ी
7. आसिफ पुत्र श्री जब्बार जाति मुसलमान निवासी देवगांव हाल केकड़ी
8. सोनू पुत्र श्री जब्बार जाति मुसलमान निवासी देवगांव हाल केकड़ी
9. मोनू पुत्र श्री जब्बार जाति मुसलमान निवासी देवगांव हाल केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. मोहम्मद अजीज पुत्र श्री अलादीन जाति मुसलमान निवासी देवगाव तहसील केकड़ी
2. अब्दुल हमीद पुत्र श्री अलादीन जाति मुसलमान निवासी देवगाव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. मुमताज बेगम पत्नि श्री अलादीन जाति मुसलमान निवासी सावर तहसील सावर
4. शहजाद बेगम पुत्री श्री अलादीन जाति मुसलमान निवासी फतेहगढ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
5. यासीन मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव तहसील केकड़ी
6. शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव तहसील केकड़ी
7. अख्तर पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बघेरा तहसील केकड़ी
8. नजीरा पुत्री श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बघेरा तहसील केकड़ी
9. अनीशा नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी धाड़ तहसील दूनी (टोंक)
10. रईसा पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवडावास तहसील देवली
11. मुमताज पत्नि जहूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव तहसील केकड़ी
12. इरशाद पुत्र जहूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव तहसील केकड़ी
13. दिलशाद पुत्र श्री जहूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव तहसील केकड़ी
14. शर्मीला पुत्री जहूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राजमहल तहसील देवली
15. रेशमा पुत्री जहूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राजमहल तहसील देवली
16. याकूब पुत्र श्री अशरफ जाति मुसलमान निवासी देवगांव तहसील केकड़ी
17. इकराम अली पुत्र श्री अशरफ जाति मुसलमान निवासी देवगांव हाल बोराडा तहसील सरवाड
18. नूर बानो पत्नि श्री अजीज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवगांव
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी
20. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 08.06.2018

पत्रावली आज दिनांक 08.06.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प देवगांव में पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित। उपस्थित पाकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,89,188,88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 686 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2065, 2066, 3473, किता 3 कुल रकबा 0.41 है. भूमि जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 से 18 की सहखातेदारी की आराजी है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है जो स्व. अमीर अली की विरासत के उत्तराधिकारी है। स्व. अमीर अली के 5 पुत्र क्रमशः असरफ अली, अलादीन, नूर मोहम्मद, फेज मोहम्मद ईद मोहम्मद थे। ईद मोहम्मद अविवाहित फोत होने से प्रत्येक का 1/4 हिस्सा नियत है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी पर अपने हिस्से अनुसार वर्षो से कब्जा काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 5 से 17 ने ग्राम शम्भूपुरा में अन्य स्थित आराजी खसरा नम्बर 129 सम्भला दी थी जिससे अप्रार्थी 1 से 5 का कोई हक अधिकार व सरोकार इस आराजी में नही है। आराजी में प्रार्थीगण का 1/3 तथा अप्रार्थी 5 से 17 का 2/3 हिस्सा है किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से में कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है लिहाजा प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण 1 से 4 की और अधिवक्ता श्री रामदेव सेन उपस्थित । अप्रार्थीगण स. 8, 14, 16 व 17 स्वयं उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 6, 7 व 9 से 13, 15, 18 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 16, 17 व 19, 20 का जवाब दावा पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली आज बहस स्तर पर है तथा केम्प कोर्ट देवगांव में पेश हुई। प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 686 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2065, 2066, 3473, किता 3 कुल रकबा 0.41 है. जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार कब्जे काश्त करते आ रहे है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के पूर्वजो की भूमि है जिसमें ईद मोहम्मद अविवाहित फोत होने से अमीर अली के शेष 4 पुत्रों का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को ग्राम शम्भूपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 129 की आराजी बाहमी समझोते से सम्भला दी गई थी जिससे अप्रार्थी 1 से 5 का इस आराजी में कोई हक हिस्सा नही है तथा प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 से 17 का 2/3 हिस्स दर्ज है। अप्रार्थीगण की नियत बद होने से आये दिन प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में हस्तक्षेप करते है तथा हिस्सों को लेकर आपसी कहा सुनी करते है जिससे परेशान होकर प्रार्थीगण द्वारा यह वाद प्रार्थनापत्र पेश किया है जो स्वीकार योग्य बनता है।

प्रार्थीगण ने निम्न दस्तावेज पेश किये है–

1. जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता नम्बर 686
2. वर्किंग जमाबन्दी संवत 241 खाता नम्बर 20
3. मिलान क्षेत्रफल
4. ईद मोहम्मद का मृत्यु प्रमाण पत्र

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने जवाब दावा पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किया है। पेरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है न ही प्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा रहा है। प्रार्थीगण ग्राम देवगांव में नही रहकर अन्यत्र जगह कस्बा केकडी में वर्षो से स्थायी निवास करते आ रहे है जिनका मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है। प्रस्तुत वाद/प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण ने अपना 1/3 हिस्सा बताकर बंटवारा चाहा है जो न्यायालय को गुमराह करने की नियत से वाद/प्रार्थनापत्र पेश किया है जो मय हर्जे खर्चे के खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण ने अपने पक्ष में कोई दस्तावेज आदि पेश नही किये है।

अप्रार्थी संख्या 16, 17 ने इकबाले जवाब प्रस्तुत किया है जिसमे निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 से 18 एक ही परिवार के सदस्य है। स्व. अमीर अली की विरासत के उत्तराधिकारी है। स्व. अमीर अली के पांच संताने थी जिसमें ईद मोहम्मद अविवाहित फोत हो चुका है। ईद मोहम्मद के अविवाहित फोत होने से प्रत्येक का 1/4 हिस्सा प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में नीहित था। प्रतिवादी सं. 1 से 5 को ग्राम शम्भूपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 129 दे दिया गया था जिसके कारण प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण 5 से 17 का 2/3 हिस्सा है। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण का वाद प्रार्थनापत्र स्वीकार करने हेतु प्रार्थना अप्रार्थी संख्या 16 व 17 ने की है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी की आराजीयात है जिसमें वर्किंग जमाबन्दी 2041 में अप्रार्थीगा 1 से 5 के पिता फेज मोहम्मद का नाम सहखातेदारी में दर्ज है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबन्दी में फेज मोहम्मद या उसके वारिसान का नाम जमाबन्दी में दर्ज नही होना जाहिर होता है। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 4 में अप्रार्थी 1 से 4 को बाहमी समझोते से ग्राम शम्भूपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 129 की आराजी दिया जाना बताया गया है जिसका रिकॉर्ड इस पत्रावली में प्रार्थी/अप्रार्थी ने पेश नही किया है । आराजी के हक हिस्से सम्बन्धित सभी तथ्य मूल वाद में बाद साक्ष्य के निस्तारित होने है तथा यहां अप्रार्थीगण को यदि रोका नही गया तो इससे पक्षकारान में वाद–विवाद या मुकदमाबाजी बढने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्राईमाफेसाइ केस होना जाहिर होता है तथा प्रार्थनापत्र का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र वाके ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 686 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2065, 2066, 3473, किता 3 कुल रकबा 0.41 है. भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से तक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण 1 से 18 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से तावाद विचाराधीन होने तक पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के हिस्से तक की भूमि में उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे एव ंन ही प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात से जबरन अवैध रूप से बैदखल करें ना ही वर्तमान प्रविष्टि के आधार पर आराजी का रहन, बैचान आदि करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी